

निविदा की शर्तें हेतु मार्गदर्शित प्रारूप (Draft)
विषय सूची

खंड-सं.	विवरण	पेज
खंड- I	ई-निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)	
खंड- II	निविदा दाता को निर्देश (आईटीबी) ए. महत्वपूर्ण तिथियां/ सामान्य जानकारी बी. निविदा दस्तावेज सी. निविदा खोलना और उसका मूल्यांकन डी. अनुबंध प्रदान करना ई. अन्य नियम और शर्तें	
	अनुलग्नक 1 से 7	

खंड- I

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

मध्यप्रदेश शासन

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल उमरिया मध्यप्रदेश

ई-निविदा आमंत्रण सूचना संख्या/ई-टेंडरिंग/2026-27 दिनांक

1. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल उमरिया द्वारा म.प्र. भण्डार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम, 2015 (यथा संशोधित-2022) के अंतर्गत निम्नलिखित ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

Item Name	माप/आकार का विवरण	अनुमानित मात्रा
Battery 150 AH	प्रति नग	आवश्यकतानुसार
Battery 65 AH	प्रति नग	आवश्यकतानुसार
Wire- 1mm copper	प्रति र.मी.	आवश्यकतानुसार
Wire- 1.5mm copper	प्रति र.मी.	आवश्यकतानुसार
Wire- 2.5mm copper	प्रति र.मी.	आवश्यकतानुसार
Wire- 4mm copper	प्रति र.मी.	आवश्यकतानुसार
Cable 2.5 mm copper	प्रति र.मी.	आवश्यकतानुसार
1.5 mm Cable 3 Core copper	प्रति र.मी.	आवश्यकतानुसार
1.5 mm Cable 2 Core copper	प्रति र.मी.	आवश्यकतानुसार
Armed Cable 10 mm	प्रति र.मी.	आवश्यकतानुसार
Cable 4 Square mm 3 Core copper	प्रति र.मी.	आवश्यकतानुसार
Switch 16 AMP	प्रति नग	आवश्यकतानुसार
Switch 12 AMP	प्रति नग	आवश्यकतानुसार
Switch 6 AMP	प्रति नग	आवश्यकतानुसार
6AMP Modular Switch	प्रति नग	आवश्यकतानुसार
16AMP Modular Switch	प्रति नग	आवश्यकतानुसार
Socket – 6AMP	प्रति नग	आवश्यकतानुसार
Socket – 16AMP	प्रति नग	आवश्यकतानुसार
16AMP Modular Somet	प्रति नग	आवश्यकतानुसार
6AMP Modular Somet	प्रति नग	आवश्यकतानुसार
Cut out 100AMP	प्रति नग	आवश्यकतानुसार
Cut out 32AMP	प्रति नग	आवश्यकतानुसार
Cut out 16AMP	प्रति नग	आवश्यकतानुसार
16AMP Top Pin	प्रति नग	आवश्यकतानुसार
6AMP Top Pin	प्रति नग	आवश्यकतानुसार
Angle Holder	प्रति नग	आवश्यकतानुसार
Straight Holder	प्रति नग	आवश्यकतानुसार
Exhaust Fan – 9inch (MS/PLASTIK)	प्रति नग	आवश्यकतानुसार
Exhaust Fan – 12inch (MS/PLASTIK)	प्रति नग	आवश्यकतानुसार
Ceiling Fan 1200 mm	प्रति नग	आवश्यकतानुसार
Wall Fan	प्रति नग	आवश्यकतानुसार

Fan Regulator	प्रति नग	आवश्यकतानुसार
Fan Condenser	प्रति नग	आवश्यकतानुसार
LED Bulb White -20wt	प्रति नग	आवश्यकतानुसार
LED Bulb -9wt	प्रति नग	आवश्यकतानुसार
LED Bulb -12wt	प्रति नग	आवश्यकतानुसार
LED tubelight 12wt	प्रति नग	आवश्यकतानुसार
Surface Light 3wt	प्रति नग	आवश्यकतानुसार
Surface Light 7wt	प्रति नग	आवश्यकतानुसार
Surface Light 12wt	प्रति नग	आवश्यकतानुसार
Surface Light 15wt	प्रति नग	आवश्यकतानुसार
LED Street Light 50 wt	प्रति नग	आवश्यकतानुसार
LED Street Light 75 wt	प्रति नग	आवश्यकतानुसार
LED Street Light 100 wt	प्रति नग	आवश्यकतानुसार
LED Street Light 200 wt	प्रति नग	आवश्यकतानुसार
3 Modular box	प्रति नग	आवश्यकतानुसार
4 Modular box	प्रति नग	आवश्यकतानुसार
6 Modular box	प्रति नग	आवश्यकतानुसार
12 Modular box	प्रति प्रति	आवश्यकतानुसार

- निविदा दस्तावेज से संबंधित सभी विवरण ई-प्रोक्वोरमेंट पोर्टल पर निःशुल्क देखे और डाउनलोड किये जा सकते हैं।
- इच्छुक निविदाकार क्रेडिट/डेबिट/कैश कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पोर्टल शुल्क का ऑनलाईन भुगतान करने के बाद निविदा दस्तावेज को ई-प्रोक्वोरमेंट पोर्टल पर 18.05.2026 बजे 10.30 AM से 05.06.2026 बजे. 04.30 PM तक केवल ऑनलाईन खरीद सकते हैं।
- ई-प्रोक्वोरमेंट पोर्टल पर महत्वपूर्ण तिथियों के रूप में उल्लिखित निविदा प्रक्रिया तिथियां लागू होंगी।
- **ई-निविदा आमंत्रण सूचना** में शुद्धिपत्र/परिशिष्ट यदि कोई हो केवल पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा, सामाचार पत्रों में नहीं।
- ई-प्रोक्वोरमेंट पोर्टल: <https://www.mptenders.gov.in>

sd/-
वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल उमरिया (म.प्र.)

खंड- II

निविदाकारों के लिये निर्देश (आईटीबी)

अ. महत्वपूर्ण तिथियां/सामान्य जानकारी

क्रमांक	जानकारी	विवरण
1	संक्षिप्त विवरण	वनमण्डल कार्यालय, उमरिया में किये जाने वाले वन अधोसंरचना कार्यों के लिये सामग्री क्रय करने हेतु दरों की निविदा
2	ई-निविदा आमंत्रण सूचना संख्या	
3	निविदा शुल्क/निविदा दस्तावेज की लागत	1000/-प्रोसेसिंग शुल्क (पोर्टल द्वारा स्वचलित रूप से निर्धारित)
4	सत्यांकार निधि	20,000/-
5	निविदा प्रस्ताव की वैधता	उस वित्तीय वर्ष 2026-27 के भीतर जिसमें वनमंडलाधिकारी उमरिया द्वारा निविदा आमंत्रित की गई है।
6	निष्पादन सुरक्षा	20,000/-
7	अनुमानित निविदा मूल्य	2,50,000/-
8	निविदा पूर्व बैठक की तिथि और समय	(पोर्टल पर शेड्यूल देखें)
9	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि (अंतिम तिथि)	(पोर्टल पर शेड्यूल देखें)
10	प्राप्त तकनीकी प्रस्तावों को खोलने का समय और तिथि	(पोर्टल पर शेड्यूल देखें)
11	प्राप्त वित्तीय प्रस्तावों को खोलने का समय और तिथि	(पोर्टल पर शेड्यूल देखें)
12	जमा करने का प्रकार	ऑनलाईन जमा https://www.mptenders.gov.in

1. निविदा की स्वीकृत दरों की वैधता सफल निविदाकार और वनमण्डलाधिकारी उमरिया के बीच आपसी सहमति के अधीन 90 दिनों तक बढ़ाई जा सकती है।
2. निविदा में उल्लेखित की गई वस्तुओं की संभावित मात्रा है। भविष्य में अन्य मद से कार्य स्वीकृत होने की स्थिति में यदि सामग्री का प्रयोग होता है तो वित्तीय वर्ष के इसी दर पर सामग्री क्रय किया जावेगा।
3. वनमण्डल उमरिया (निविदाकर्ता) किसी भी समय और बिना कोई कारण बताए प्रस्ताव के लिये अनुरोध (आरएफपी) प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है। निविदाकर्ता कोई भी स्पष्ट या निहित प्रतिबद्धता नहीं करता है कि इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप किसी के साथ कोई व्यापारिक लेनदेन होगा। यह प्रस्ताव के लिये अनुरोध (आर.एफ.पी.) निविदाकर्ता द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं है। इस प्रक्रिया में निविदाकर्ता, निविदाकार की भागीदारी के परिणामस्वरूप, निविदाकार से और जानकारी या स्पष्टीकरण मांग सकता है। हालांकि निविदाकर्ता किसी भी समय बिना कोई कारण बताए इस प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है।

4. प्रति निविदाकार एक निविदा:

4.1 निविदाकार एक व्यक्तिगत इकाई या संयुक्त उद्यम हो सकता है। संयुक्त उद्यम की आवश्यकता अनुलग्नक 6 में दी गई है।

4.2 कोई भी निविदाकार संयुक्त रूप से या अलग-अलग एक से अधिक निविदायें प्रस्तुत करने का हकदार नहीं होगा। यदि वह ऐसा करता है, तो निविदाकार द्वारा भाग ली गई सभी निविदायें अयोग्य मानी जाएंगी।

5. निविदाकार को अपनी निविदा तैयार करने और प्रस्तुत करने से जुड़े सभी बचें वहन करना होगा, और इसके लिये सरकार पर कोई भी दावा नहीं किया जाएगा।

6. निविदाकार को सलाह दी जाती है कि वह कार्य/अपूर्ति स्थल और उसके आस-पास का दौरा करें और निरीक्षण करें तथा निविदा तैयार करने और अनुबंध में प्रवेश करने के लिये आवश्यक सभी जानकारी अपनी जिम्मेदारी पर प्राप्त करें। इस संबंध में सभी खर्चे निविदाकार को वहन करना होगा।

(ब) निविदा दस्तावेज

7. निविदाकारों को अपनी निविदा के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे:-

- i) जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र
- ii) पैन कार्ड
- iii) पिछले 3 वित्तीय वर्षों के आयकर रिटर्न
- iv) 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर पूरा अनुलग्नक-1
- v) पूरा अनुलग्नक-2
- vi) पूरा अनुलग्नक-3
- vii) सीए प्रमाणित टर्नओवर प्रमाणपत्र
- viii) दुकानें और प्रतिष्ठान पंजीकरण
- ix) स्टार्टअप इंडिया प्रमाणपत्र यदि वार्षिक औसत टर्नओवर या/और पिछले अनुभव से छूट मांगी गई है (अनुलग्नक-4 खंड (I) और (II))

8. निविदाकार से निविदा दस्तावेज के सभी निर्देशों और शर्तों की सावधानीपूर्वक जांच करने की अपेक्षा की जाती है। ऐसा न करने पर निविदाकार पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

9. निविदा पूर्व बैठक (जहां लागू हो)

जहां भी निविदा दस्तावेज में निविदा पूर्व बैठक का प्रावधान है:

9.1 ई-निविदा आमंत्रण सूचना में स्थान, तिथि और समय का उल्लेख किया जाएगा। निविदा पूर्व बैठक के कार्यक्रम में कोई भी बदलाव केवल अधिसूचित किया जाएगा, और निविदाकारों को अलग से सूचित नहीं किया जाएगा।

9.2 कोई भी संभावित निविदाकार निविदा पूर्व बैठक से पहले या उसके दौरान लिखित रूप में अपने प्रश्न उठा सकता है अथवा स्पष्टीकरण मांग सकता है। ऐसी बैठक का उद्देश्य मुद्दों को स्पष्ट करना और उस चरण में उठाए जाने वाले किसी भी मामले पर सवालों के जवाब देना है। निविदाकर्ता अपने विकल्प पर ऐसे स्पष्टीकरण दे सकता है जो उसे आवश्यक लगे।

9.3 निविदा पूर्व बैठक का कार्य विवरण जिसमें उठाए गए प्रश्नों का सार और दिए गए उत्तर तथा बैठक के बाद तैयार किए गए किसी भी उत्तर कासे शामिल किया जाएगा, वेबसाइट पर प्रस्तुत किया जाएगा।

9.4 निविदा पूर्व बैठक के बाद निविदाकर्ता निविदा दस्तावेज में संशोधन करना आवश्यक समझता है, तो यह ऑनलाईन ई-निविदा आमंत्रण सूचना में संशोधन जारी करके किया जाएगा।

10. सत्यांकार निधि (ईएमडी)

10.1 सत्यांकार निधि की गणना मध्य प्रदेश भण्डार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम, 2015 (यथा संशोधि-2022) के नियम 14 के अनुरूप की जानी है।

10.2 सत्यांकार निधि निविदा शुल्क/निविदा दस्तावेज का मूल्य और प्रसंस्करण शुल्क ई-खरीद पोर्टल पर ऑनलाईन जमा किया जाएगा। ऑफलाइन जमा करना मान्य नहीं होगा। (उपर्युक्त नियमों के खंड 14.1 के अनुसार)

10.3 सफल सत्यांकार निधि जमा करने की रसीद की स्कैन की गई प्रति निविदा के साथ शामिल की जानी चाहिए।

10.4 असफल निविदाकारों की सत्यांकार निधि यथाशीघ्र वापस कर दी जाएगी। (उपर्युक्त नियमों के खंड 14.2 के अनुसार)

10.5 सत्यांकार निधि जब्त की जा सकती है:

10.5.1 यदि निविदाकार, निविदा वैधता अवधि या इसकी विस्तारित अवधि यदि कोई हो के दौरान अपनी निविदा वापस ले लेता है या उद्धृत मूल्य में वृद्धि करता है;

या

निविदा प्रक्रिया के दौरान, यदि निविदाकार जानबूझकर ऐसा कोई कार्य करता है जिससे निविदा के मूल्यांकन और निविदा को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में जोखिम या अनावश्यक रूप से देरी हो;

या

सफल निविदाकार के मामले में, यदि निविदाकार निविदाकर्ता द्वारा कार्य आदेश जारी करने के 15 दिनों के भीतर निष्पादन सुरक्षा राशि जमा करने में विफल रहता है;

या

निविदा प्रक्रिया के दौरान यदि निविदा में कोई जानकारी गलत/हेरफेर/छिपी हुई पाई जाती है।

10.6 सत्यांकार निधि जब्त करने और निविदा को अस्वीकार करने के संबंध में निविदाकर्ता का निर्णय अंतिम होगा और किसी भी परिस्थिति में उस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।

11. संपूर्ण निविदा प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से तीन-कवर प्रणाली में ऑनलाईन होगी। इस निविदा सूचना के संबंध में सभी अधिसूचनाएं और विस्तृत नियम एवं शर्तें वेबसाइट पर ऑनलाईन प्रकाशित की जाएंगी।
12. निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने और निविदाओं को ऑनलाईन प्रस्तुत करने तथा निविदा खोलने की प्रक्रिया के लिए दिशा-निर्देश पोर्टल से डाउनलोड किए जा सकते हैं।
13. पूर्व योग्यता मापदंड अनुलग्नक 4 में दिए गए हैं। निविदाकारों को अपने पूर्व-योग्यता, तकनीकी और वाणिज्यिक प्रस्तावों पर आवश्यक जानकारी केवल संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत करनी होगी। प्रारूप में कोई भी विचलन निविदा को अस्वीकार करने के लिये उत्तरदायी बना सकता है। पूर्व-योग्यता या तकनीकी लिफाफे में निविदा की वाणिज्यिक जानकारी का खुलासा निविदा को अस्वीकार करने के लिये पर्याप्त आधार होगा।
14. तकनीकी निविदा पोर्टल पर ऑनलाईन खोली जाएगी।
15. वाणिज्यिक निविदा के अलावा निविदा के किसी भी भाग में निविदा की कीमतों का उल्लेख नहीं होना चाहिए।

16. निविदाकार को वाणिज्यिक निविदा ऑनलाईन अपलोड करनी चाहिए और पोर्टल पर दिए गए बिल की मात्रा (बीओक्यू) के अनुसार अपलोड करनी चाहिए।
17. निविदा मूल्य में लोडिंग, परिवहन, अनलोडिंग और स्टैकिंग (यदि आवश्यक हो) में शामिल लागत शामिल होगी। निविदाकार वनमण्डलाधिकारी उमरिया द्वारा निर्देशित किसी भी स्थान पर सामग्री के परिवहन के लिये उत्तरदायी होंगे, जो कि वनमण्डल की भौगोलिक सीमा तक होगा। निविदा मूल्य में जीएसटी, अन्य सभी कर और शुल्क शामिल होंगे और यह भारतीय रूपये में होगा।
18. सभी संभावित निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे वनमण्डल के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का दौरा करें और कार्य स्थितियों से खुद को परिचित करें। इस संबंध में एक प्रमाण पत्र (अनुलग्नक-3) निविदाकार द्वारा भरा जाना चाहिए। पूरा प्रमाण पत्र निविदा दस्तावेजों के साथ अपलोड किया जाना चाहिए।
19. निविदाकार द्वारा अनुलग्नक-1 में उल्लेखित प्रारूप के अनुसार एक स्व-घोषण-काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधित प्रमाण पत्र निविदा दस्तावेजों के साथ रु. 100 के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(स) निविदा खोलना और उसका मूल्यांकन:-

20. निविदाकर्ता किसी भी या सभी निविदाओं को परियोजना के सर्वोत्तम हित में समझे जाने वाले विचारों के आधार पर बिना किसी कारण बताए, स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
21. निविदाकर्ता, प्राप्त तकनीकी और वाणिज्यिक निविदाओं की जांच और मूल्यांकन करने के लिये एक निविदा मूल्यांकन समिति (TEC) नियुक्त करेगा। निविदा मूल्यांकन समिति, निविदाओं की जांच करके यह निर्धारित करेगी कि वे पूर्ण एवं उत्तरदायी है और निविदा प्रारूप RFP आवश्यकताओं के अनुरूप है या नहीं। निविदाकर्ता, निविदा में किसी भी अनौपचारिकता या गैर-अनुरूपता को माफ कर सकता है जो निविदाकर्ता के अनुसार भौतिक विचलन का गठन नहीं करता है।
[गैर-भौतिक विचलन छोटी-मोटी त्रुटियों या चूक को संदर्भित करता है जो निविदा की मुख्य आवश्यकताओं या मूल्यांकन प्रक्रिय की निष्पक्षता को प्रभावित नहीं करता है, जैसे कि छोटी-मोटी लिपिकीय त्रुटियां या प्रारूपण संबंधी मुद्दे।]
22. निविदाकर्ता केवल तकनीकी रूप से सफल निविदाकारों की वित्तीय निविदाएं खोलेगा।
23. यदि कोई फर्म शून्य/प्रतिफल उद्धृत करती है, तो निविदा को अनुत्तरदायी माना जाएगा और उस पर विचार नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार यदि समिति/वनमंडल उमरिया की राय में, निविदाकर्ता द्वारा उद्धृत प्रतिफल या तो बहुत कम या बहुत अधिक है, तो उसे भी अस्वीकार किया जा सकता है।
24. यदि दो या अधिक निविदाकर्ताओं के द्वारा प्रस्तुत वित्तीय प्रस्ताव एक समान पाये जाते हैं, तो लॉटरी के माध्यम से निर्णय किया जाएगा।
25. कोई भी सर्शत निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी।

26. अंकगणितीय त्रुटियों को निम्नलिखित आधार पर ठीक किया जाएगा: यदि इकाई मूल्य और कुल मूल्य के बीच कोई विसंगति है, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करके प्राप्त की जाती है, तो इकाई मूल्य मान्य होगा और कुल मूल्य को सही किया जाएगा। यदि शब्दों और आंकड़ों के बीच कोई विसंगति है, तो शब्दों में राशि मान्य होगी।
27. निविदाकर्ता किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करके और अनुबंध करने से पहले किसी भी समय निविदा प्रक्रिया को निरस्त करने और सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिससे प्रभावित निविदाकार या निविदाकारों के प्रति निविदाकर्ता कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होगा तथा निविदाकर्ता की कार्यवाही के कारणों के बारे में प्रभावित निविदाकार या निविदाकारों को सूचित करके का कोई दायित्व नहीं होगा।

(द) अनुबंध का पुरस्कार:

28. समस्त सामग्रियों का योग सबसे कम दर उद्धृत करने वाली फर्म को निविदा दी जाएगी।
29. प्रत्येक सामग्री के लिए सफल निविदाकार का समस्त सामग्री के योग का न्यूनतम दर **L1** के आधार पर किया जावेगा। न्यूनतम दर सभी **Item** के कुल योग का न्यूनतम दर होगा।
30. नियोक्ता सफल निविदाकारों को 'स्वीकृति पत्र' (एलओए) **(अनुलग्नक 5)** जारी करके सूचित करेगा कि उसकी निविदा स्वीकार कर ली गई है। अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय सफल निविदाकार को शपथपत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
31. अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले, जिस निविदाकार को स्वीकृति पत्र जारी किया गया है, उसे इस निविदा के लिये सुरक्षा जमा के रूप में अनुभाग 11 "महत्वपूर्ण तिथियां/सामान्य जानकारी" पृष्ठ के क्रमांक 6 में निर्दिष्ट राशि जमा करनी होगी। निष्पादन सुरक्षा क्रियाशील शाखा वाले अनुसूचित बैंक (सहकारी बैंको छोड़कर) से सावधि जमा रसीद (एफडीआर) या बैंक गारंटी के रूप में वनमंडलाधिकारी, उमरिया, जिला उमरिया" के पक्ष में जमा की जा सकेगी। सावधि जमा रसीद (एफडीआर) या बैंक गारंटी की वैधता अनुबंध की सम्पूर्ण अवधि से 3 माह अधिक अवधि के लिये होगी। यदि धारा 2 के पैरा 1 के अनुसार निविदा प्रस्ताव की वैधता कुछ अवधि के लिये बढ़ाई जारी है तो नई निष्पादन सुरक्षा जमा राशि जमा करनी होगी। हालांकि, यदि मूल निष्पादन सुरक्षा जमा वैधता की अवधि आवश्यक निर्दिष्ट तिथि के लिये वैध है तो उसे जारी रखा जा सकता है।

निष्पादन सुरक्षा यह संतुष्ट होने पर वापस कर दी जाएगी कि अनुबंध के तहत निविदाकार के द्वारा दायित्वों का उचित निष्पादन किया गया है। हालांकि, विभाग द्वारा निष्पादन सुरक्षा पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

निष्पादन सुरक्षा राशि की गणना मध्य प्रदेश भण्डार कय नियम और सेवा उपार्जन नियम 2015 (संशोधित-2022) के अनुरूप की जाएगी।

32. इस अनुबंध के उल्लंघन की स्थिति में या इस अनुबंध के अनुसार लागू किसी भी दण्ड की वसूली के लिये निविदाकर्ता को सफल निविदाकार को नोटिस दिए बिना, निष्पादन सुरक्षा की राशि को पूरी तरह या आंशिक रूप से लागू करने और विनियोजित करने का अधिकार होगा। संदेह से बचने के लिये, पक्ष स्पष्ट रूप से सहमत है कि निष्पादन सुरक्षा में शामिल किसी भी राशि के विनियोजन की आवश्यकता वाले किसी भी चूक की स्थिति में, निविदाकर्ता सफल निविदाकार को देय किसी भी बाद के भुगतान से कटौती कर सकता है, जैसे कि वह इस अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार निष्पादन सुरक्षा को विनियोजित कर रहा हो। निष्पादन सुरक्षा को लागू करने के कारणों में नीचे दी गई शर्तें शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:-

- I. निविदाकार सामग्री देने में सक्षम नहीं है या निविदाकार ने ऐसी सामग्री प्रदाय की है जो समिति/वनमण्डल की राय में आवश्यक गुणवत्ता मानक को पूरा नहीं करती है और इसलिये निरीक्षण के दौरान उसे अस्वीकार कर दिया गया है।
- II. निविदाकार या उसका कर्मचारी निविदाकर्ता के साथ अपने जुड़ाव के दौरान किसी भी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल है।
- III. यदि निविदाकार लगातार तीन बार, निविदाकर्ता या उनके प्रतिनिधि द्वारा उठाई गई आवश्यकताओं के प्रति गैर उत्तरदायी है।
- IV. निविदाकार समय पर बकाया राशि का भुगतान नहीं करता है।

33. अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर

32.1 सफल निविदाकार को निष्पादन सुरक्षा और अतिरिक्त निष्पादन सुरक्षा, यदि कोई हो, प्रस्तुत करनी होगी और स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि से 7 दिनों के भीतर अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा। अनुबंध समझौते का प्रारूप अनुलग्नक 7 में दिया गया है।

32.2 अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर को सामग्री की आपूर्ति शुरू होने की सूचना के रूप में माना जाएगा। काम शुरू करने के लिये निविदाकर्ता द्वारा निविदाकार को आम तौर पर कोई अलग आपूर्ति आदेश जारी नहीं किया जाएगा।

32.3 सफल निविदाकार द्वारा निष्पादन सुरक्षा, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने या अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करने में विफल रहने की स्थिति में, निविदाकार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिये निविदाकर्ता के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसकी सत्यांकार की राशि (ईएमडी) जब्त कर ली जाएगी।

34. निविदाकर्ता, इस अनुबंध और लागू कानून के तहत किसी भी अन्वय उपाय के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, सफल निविदाकार को चूक का कारण बताते हुये 30 दिनों को लिखित नोटिस देकर अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और जैसा वह उचित समझे, अनुबंध को पूरी तरह या आंशिक रूप से समाप्त कर सकता है और निविदाकार को काली सूची में डाल सकता है।

35. अनुबंध भारत में प्रचलित और लागू कानूनों द्वारा निर्धारित कानूनों और प्रक्रियाओं द्वारा शासित होगा, ऐसे वाणिज्यिक लेनदेन/प्रसंस्करण के संबंध में समय-समय पर लागू कानून और अधिनियम

के ढांचे के भीतर सभी कानूनी विवाद केवल मध्यप्रदेश के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।

अन्य नियम और शर्तें

36. जहां भी लागू हो, सामग्री में की कटौती की जाएगी।
37. निविदाकार का प्रस्ताव अस्वीकार किया जा सकता है यदि वे निविदा दस्तावेज, नियम और शर्तों और शुद्धिपत्र (यदि कोई हो) में मांगे गए किसी भी प्रमाण पत्र/दस्तावेज को अपलोड नहीं करते हैं।
 - 37.1 यदि निविदा की वैधता अवधि के भीतर यह पाया जाता है कि निविदाकार द्वारा प्रस्तुत/अपलोड किए गए दस्तावेजों में से कोई या कुछ झूठे या धोखाधड़ी वाले हैं, तो निविदाकार का प्रस्ताव अस्वीकार किया जा सकता है। ऐसे मामले में निविदाकार का समझौता रद्द किया जा सकता है, जिसके बाद निविदाकार की सत्यांकार की राशि (ईएमडी) और निष्पादन सुरक्षा जमा जब्त की जा सकती है।
 - 37.2 यदि सामग्री की आपूर्ति निर्धारित समय से शुरू/पूरी नहीं की जाती है, तो निविदाकार का अनुबंध रद्द किया जा सकता है, जिसके बाद निविदाकार की सत्यांकार की राशि (ईएमडी) और निष्पादन सुरक्षा जमा जब्त कर ली जाएगी। यदि कार्य पूरा करने के लिये निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी सामग्री की आपूर्ति अधूरी रहती है तो निविदाकर्ता को अन्य स्रोतों से सामग्री का शेष भाग खरीदने की स्वतंत्रता होगी और इसमें व्यय की गई अतिरिक्त राशि, यदि सत्यांकार की राशि (ईएमडी) और निष्पादन सुरक्षा जमा से कम है तो उसमें से समायोजित की जायेगी। यदि यह अतिरिक्त राशि सत्यांकार की राशि (ईएमडी) और निष्पादन सुरक्षा जमा से अधिक है तो सत्यांकार की राशि (ईएमडी) और निष्पादन सुरक्षा जमा जब्त कर ली जाएगी।
 - 37.3 निविदाकार द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की मात्रा निविदा दस्तावेज में उल्लेखित मात्रा के अनुसार अधिक या कम दोनों तरफ भिन्न हो सकती है। निविदाकार निविदाकर्ता की बदलती आवश्यकता के अनुसार सामग्री की अपूर्ति करने के लिये बाध्य होगा।
38. इस निविदा सूचना या जारी किये गये कार्य आदेश में जिन प्रावधानों का उल्लेख नहीं किया गया है, उनके संबंध में निर्णय लेने का अधिकार निविदाकर्ता के पास होगा।

अनुलग्नक-1

प्रारूप : स्वघोषण-काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधित प्रमाण पत्र

रु. 100 के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाना है

दिनांक:-

सेवा में,

वनमण्डलाधिकारी

वनमण्डल उमरिया

महोदय/महोदया,

दिनांक..... के निविदा संदर्भ संख्या..... के प्रत्युत्तर में,.....
..... के स्वामी/भागीदार/निदेशक के रूप में, मैं/हम घोषणा करते हैं कि
वर्तमान में हमारी कंपनी/फर्म..... का रिकार्ड बेदाग है तथा
उसे किसी भी राज्य/केन्द्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अनिश्चित काल के लिये या किसी
विशेष अवधि के लिये भ्रष्ट और धोखाधड़ी पूर्ण कार्यों के लिये अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।
हम आगे घोषण करते हैं कि वर्तमान में हमारी कम्पनी/फर्म.....
निविदा प्रस्तुत करने की तिथि पर किसी भी राज्य/केन्द्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा भ्रष्ट
और धोखाधड़ी पूर्ण व्यवहार के अलावा अन्य कारणों से काली सूची में नहीं डाली गई है और न ही अयोग्य
घोषित की गई है।
यदि यह घोषण गलत पाई जाती है तो किसी भी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी
प्रतिभूति पूर्णतः जब्त कर ली जाएगी तथा निविदा यदि कोई हो को स्वीकार की गई सीमा तक रद्द कर
दिया जाएगा।

आपका धन्यवाद,

निविदाकार का नाम:

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता:

संगठन की मुहर:

दिनांक:-

स्थान:-

अनुलग्नक-2

प्रारूप : निविदा में भाग लेने वाले व्यक्ति/फर्म का विवरण

1. निविदाकार/फर्म का नाम:
2. पिता का नाम
3. स्थायी पता मकान क्रमांक
- गली क्रमांक
- स्थान
- जिलापिन कोड.....
4. कार्यालय का पता
- गली क्रमांक
- स्थान
- जिलापिन कोड.....
5. सत्यंकार राशि (ई.एम.डी.) का विवरण प्रकार :- एफडीआर/बैंक गारंटी/.....
- संख्या दिनांक
- राशि
- बैंक का नाम
6. जीएसटी नम्बर

निविदाकार के हस्ताक्षर

घोषण

मैं, पति/पति.....
..... घोषण करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही है। यदि उपरोक्त जानकारी में कोई विसंगति पाई जाती है, तो उसके लिये मैं पूरी तरह जिम्मेदार रहूंगा। मैंने निविदा दस्तावेज की सभी शर्तों, नियमों और आवश्यकताओं को पढ़ और समझ लिया है और उनका पालन करने की शपथ लेता हूं।

निविदाकार के हस्ताक्षर

अनुलग्नक-3

प्रारूप : सामग्री प्रदाय क्षेत्र भ्रमण प्रमाण पत्र

मैं/हम..... जानता हूं/जानते हैं कि सामग्री की आपूर्ति का दायरा
..... वनमण्डल उमरिया का सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र होगा। मैं/हम वनमण्डल उमरिया के अंदर किसी भी दिए गए स्थान पर आपूर्ति करने के लिये सहमत हैं।
मुझे/हमे क्षेत्र, प्रकार, स्तर, दूरी आदि के बारे में कोई आपत्ति नहीं है।
मैंने/हम ने काम/आपूर्ति स्थान का पूरी तरह से निरीक्षण किया है और निविदा के लिये आवेदन करने से पहले कार्य स्थलों के बारे में पूरी तरह से संतुष्ट हैं और सभी कार्य स्थितियों को समझते हैं।

निविदाकार के हस्ताक्षर

अनुलग्नक-4 पूर्व योग्यता मापदण्ड

निविदाकार के पास होना चाहिए:

i (किसी भी केन्द्रीय/राज्य सरकार संगठन/विभाग/पीएसयू/सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी में) सफलतापूर्वक निष्पादित करने का अनुभव:

क) तीन समान कार्य जिसके लिये निविदाकार द्वारा निविदा दी गई है, जिनमें से प्रत्येक की लागत पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान उन वस्तुओं की संभावित राशि के 20% के बराबर राशि से कम नहीं है जिनके लिये निविदाकार द्वारा निविदा दी गई है;

या

ख) दो समान कार्य जिनके लिये निविदाकार द्वारा निविदा दी गई है, जिनमें से प्रत्येक की लागत पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान उन वस्तुओं की संभावित राशि के 30% के बराबर राशि से कम नहीं है जिनके लिये निविदाकार द्वारा निविदा दी गई है;

या

ग) एक समान कार्य जिसकी कूल लागत पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान उन वस्तुओं की संभावित राशि के 50% के बराबर राशि से कम नहीं है जिनके लिये निविदा दी गई है; अथवा

घ) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान किसी एक वित्तीय वर्ष में वन विभाग, म.प्र. में समान मदों का कार्य निष्पादित किया गया हो जो निविदाकार द्वारा दी गई निविदा के मदों की संभावित राशि के 30% के बराबर राशि से कम नहीं होना चाहिए।

i पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान निविदाकार का औसत वार्षिक कारोबार निविदाकार द्वारा दी गई निविदा के मदों की संभावित राशि के दोगुने से कम होना चाहिए।

संयुक्त उद्यम के मामले में, कम कारोबार वाली फर्म के कारोबार को उपर्युक्त खंड (ii) के तहत मूल्यांकन के लिये माना जाएगा। यदि निविदाकार के गठन/निगमन की तारीख तीन वर्ष से कम पुरानी है, तो गठन की तारीख के बाद पूरे हुये वित्तीय वर्षों के संबंध में औसत कारोबार को इस मापदण्ड के लिये ध्यान में रखा जाएगा।

अनुलग्नक-5
स्वीकृत पत्र क्रमांक

क्र०.....

दिनांक.....

....

प्रति,

मेंसर्स.....

(निविदाकार का नाम और पता)

विषय:-

प्रिय श्री.....

उपरोक्त कार्य के लिये आपकी बोली मध्य प्रदेश के राज्यपाल की ओर से मात्रा बिल और उसमें दी गई मदवार दरों के बराबर स्वीकार कर ली गई है। सामग्री का विवरण निम्नानुसार है।

क्र० सं०	सामग्री का नाम और विवरण	खरीदी जाने वाले मात्रा	स्वीकृत दर (रूपये में)
1	2	3	4

आप इस पत्र के जारी होने की तारीख से 7 दिनों के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करें:

क. रूपये..... (आंकड़ों में) में निष्पादन सुरक्षा/निष्पादन गारंटी (रूपये..... केवल शब्दों में)। निष्पादन सुरक्षा किसी सभी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की सावधि जमा/बैंक गारंटी की रसीद के रूप में होगी जो वस्तुओं की आपूर्ति के तीन महीने बाद तक वैध होगी,..... के नाम प्रतिज्ञा।

ख. अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करें।

भवदीय

अनुलग्नक-6

संयुक्त उद्यम (ज्वाइंट वेंचर)

यदि संयुक्त उद्यम की अनुमति दी जाती है तो निम्नलिखित शर्तों और आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए:

1. साझेदार के रूप में दो या अधिक फर्मों के संयुक्त उद्यम द्वारा प्रस्तुत निविदाएं निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करेंगी:

क. भागीदारों में से एक को प्रमुख भागीदार के रूप में नामित किया जाएगा, और इस प्राधिकार को सभी भागीदारों के कानूनी रूप से अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित मुख्तारनामा प्रस्तुत करके प्रमाणित किया जाएगा,

ख. निविदा और सफल निविदा के मामले में, समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे ताकि यह भी भागीदारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी हों,

ग. प्रभारी भागीदार को संयुक्त उद्यम के किसी भी और सभी भागीदारों के लिये और उनकी ओर से देयताओं को वहन करके लिये निर्देश प्राप्त करने के लिये अधिकृत किया जाएगा और भुगतान सहित अनुबंध पर पूरा निष्पादन विशेष रूप से प्रभारी भागीदार के साथ किया जाएगा,

घ. संयुक्त उद्यम के सभी भागीदार अनुबंध की शर्तों के अनुसार अनुबंध के निष्पादन के लिये संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी होंगे, और इस आशय का एक कथन ऊपर (सी) के तहत उल्लिखित प्राधिकारण में शामिल किया जाएगा, साथ ही निविदा में और अनुबंध में (सफल निविदा के मामले में),

ड. संयुक्त उद्यम समझौते में योजना और निष्पादन के संबंध में संयुक्त उद्यम के सभी सदस्यों की भूमिका को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए। अनुबंध की अवाि के दौरान संयुक्त उद्यम के सभी सदस्यों की निष्पादन में सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। निविदाकर्ता की पूर्व स्वीकृति के बिना इसे बाद में बदला/संशोधित नहीं किया जाना चाहिए,

च. संयुक्त उद्यम समझौते को पंजीकृत किया जाना चाहिए, ताकि यह कानूनी रूप से वैध हो और सभी भागीदारों पर बाध्यकारी हों, और

छ. भागीदारों द्वारा किए गए संयुक्त उद्यम समझौते की एक प्रति निविदा के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

2. निविदा के लिये आवश्यक न्यूनतम योग्यता मानदंडों के साथ निविदाकार निष्पादन को निर्धारित किरके लिये संयुक्त उद्यम के प्रत्येक भागीदार के आंकड़े एक सारूथ जोड़े जाएंगे। सभी भागीदारों को सामूहिक रूप से निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करना होगा। इस आवश्यकता का निष्पादन करने में विफलता के परिणाम स्वरूप संयुक्त उद्यम की निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

3. संयुक्त उद्यम की निष्पादन सुरक्षा साझेदार प्रमुख साझेदार/संयुक्त उद्यम के नाम पर होगी।

4. संयुक्त उद्यम की ओर से निविदा हस्ताक्षरकर्ता(यों) को अधिकृत करने वाले साझेदारों की पावर ऑफ अटॉर्नी संलरूग्न करें।

5. संयुक्त उद्यम के सभी साझेदारों के बीच हुए समझौतों के संलग्न करें (और जो सभी साझेदारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है, जो निविदाकारों के लिये निर्देशों में दर्शाई गई आवश्यकताओं को दर्शाता है।

6. संयुक्त उद्यम में भागीदारी का विवरण नीचे दिए अनुसार प्रस्तुत करें:

क्रमांक	भागीदारी विवरण	फर्म "ए" (प्रमुख भागीदार)	फर्म "बी"	फर्म "सी"

अनुलग्नक-7

अनुबंध प्रपत्र

अनुबंध

यह अनुबंध, दिनांक को वनमण्डल अधिकारी, उमरिया, जिला उमरिया (म.प्र.) (निविदाकर्ता का नाम और पता) (जिसे आगे "निविदाकर्ता" का जाएगा) और (निविदाकार का नाम और पता) जिसे आगे "निविदाकर्ता" का जाएगा के बीच दूसरे पक्ष के लिये किया गया है।

जबकि निविदाकर्ता चाहता है कि निविदाकार वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल उमरिया म.प्र. (अनुबंध का नाम और पहचान संख्या) (जिसे आगे "कार्य" कहा जाएगा) द्वारा मात्रा के बिल और उसमें दी गई दर के बराबर वस्तुओं की आपूर्ति निष्पादित करें और निविदाकर्ता ने निविदाकार द्वारा मात्रा के बिल और उसमें दी गई दर के बराबर वस्तुओं की आपूर्ति के लिये बोली को स्वीकार कर लिया है।

अब यह अनुबंध इस प्रकार प्रमाणित होता है:

1. इस अनुबंध में, शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें अनुबंध की शर्तों में क्रमशः निर्दिष्ट किया गया है और उन्हें इस अनुबंध के भाग के रूप में पढ़ा और समझा जाएगा।
2. निविदाकर्ता द्वारा निविदाकार को किए जाने वाले भुगतानों के विचार में, जैसा आगे उल्लेख किया गया है, निविदाकार अनुबंध के प्रावधानों के साथ सभी पहलुओं में अनुरूपता में कार्य निष्पादित और पूरा करने के लिये निविदाकर्ता के साथ अनुबंध करता है।
3. निविदाकर्ता अनुबंध के प्रावधानों के तहत अनुबंध मूल्य या ऐसी अन्य राशि जो अनुबंध द्वारा निर्धारित समय और तरीके से देय हो सकती है, के निष्पादन और पूरा होने के विचार में निविदाकार को भुगतान करने के लिये अनुबंध करता है।
4. निम्नलिखित दस्तावेजों को इस अनुबंध के भाग के रूप में तैयार और समझा जाएगा अर्थात्
 - i. स्वीकृति पत्र
 - ii. निविदाकारों को निर्देश
 - iii. अनुलग्नक 1 से 3
 - iv. बिल की मात्रा (BOQ) ओगर
 - v. निविदा दस्तावेज में सूचीबद्ध कोई अन्य दस्तावेज जो अनुबंध का हिस्सा हैजिसके साक्ष्य में पक्षकारों ने इस समझौते को लिखित रूप से पहले दिन और वर्ष में निष्पादन किया है। सामान्य मुहर..... इस परद निम्नलिखित की उपस्थिति में लगाई गई थी: उक्तद्वारा हस्ताक्षरित, मुहरबंद और परिदत्त..... की उपस्थिति में:

वनमण्डलाधिकारी

..... (म0प्र0) निविदाकार के बाध्यकारी हस्ताक्षर